

भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

यह एडिटोरियल 31/07/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Pathways for digital inclusion" लेख पर आधारित है। इसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) की चुनौतियों और लाभों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार (Aadhaar), UPI, अकाउंट एग्रीगेटर्स, इंडिया स्टैक।

मेन्स के लिये:

डेटा संरक्षण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे से संबंधित लाभ।

डिजिटल पब्लिक गुड्स (Digital Public Goods- DPGs), ऐसे डिजिटल पैथवे हैं जो आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने और समाज को समग्र रूप से लाभ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका नभिते हैं। ये DPGs **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure- DPI)** पर निर्मित हैं, जिसमें खुले/ओपन और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो उपयोग और विकास के लिये हर कसी के लिये भी सुलभ हैं।

भारत ने इस क्षेत्र में अग्रणी हतिधारक के रूप में **आधार (Aadhaar), यूपीआई (UPI)** और **अकाउंट एग्रीगेटर्स (account aggregators)** सहित वभिन्न DPI प्रयोगों को लागू किया है। इन पहलों ने डिजिटल परिवेश में क्रांति ली दी है, जहाँ वभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय और सामाजिक समावेशन सक्षम हो रहा है। भारत का DPI पारितंत्र, जिसे **इंडिया स्टैक (India Stack)** के नाम से जाना जाता है, परस्पर जुड़े हुए लेकनि स्वतंत्र 'ब्लॉक्स (blocks) से बना है जो पहचान, भुगतान, डेटा साझाकरण और सहमतितंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इंडिया स्टैक की मॉड्यूलर परतें डिजिटल क्षेत्र में नवाचार, समावेशन और प्रतिसिपरदधा के अवसर सृजन करती हैं।

इंडिया स्टैक:

- इंडिया स्टैक, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (Application programming interface- APIs) का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को पर्यांतर-लेस, पेरलेस और कैशलेस सेवा वितरण की दशा में भारत की जटिल समस्याओं को हल करने के लिये एक अद्वितीय डिजिटल अवसरण का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- यह आबादी के पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आरथकि प्राथमिकताओं को अनलॉक करने का लक्ष्य रखता है।
- इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण कसी एक देश तक सीमित नहीं है; इसे कसी भी राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र।
- इस परियोजना की संकल्पना और पहली बार कार्यान्वयन भारत में किया गया, जहाँ करोड़ों व्यक्तियों एवं व्यवसायों द्वारा इसे तेज़ी से अपनाने से वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मली तथा देश, 'इंटरनेट युग' के लिये तैयार हो सका है।



समावेशी DPIs के लिये आवश्यक प्रमुख तत्त्व:

- उपयोगकर्ता-कैंदरति डिजिटल:
 - उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं एवं पसंदों को पराथमकिता देना, प्रौद्योगिकी जोखिमों को कम करना और विधि समूहों को सेवा देना, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्मार्टफोन तक सीमित पहुँच रखते हैं या नमिन डिजिटल साक्षरता रखते हैं।
- नीति उद्देश्य:
 - नियमित ढाँचे के तहत एक प्रमुख नीति उद्देश्य के रूप में समावेशन को शामिल करना, सभी उपयोगकर्ताओं के लिये डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना एवं क्षेत्रों या समुदायों के बीच सूचना असमानताओं (information disparities) से बचना।
- 'यूज केस' का विकास करना:
 - वंचति वर्गों की पहचान करना और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप 'यूज केस' (Use Cases) विकसित करना।
 - अलग-अलग डेटा संग्रह और फीडबैक तंत्र के माध्यम से कमज़ोर उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव की नियमिति रूप से नगिरानी करना।
- संलग्नता:
 - ऑफलाइन चैनलों, संस्थागत कषमता नियमाण, विश्वास-नियमाण और जागरूकता सृजन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के साथ संलग्नता बनाना। कमज़ोर उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिये बिजेस कॉर्सेपॉडेंट या सामुदायिक हतिधारकों जैसे विश्वसनीय मानवीय संपरक बढ़िओं का लाभ उठाना।

भारत के लिये समावेशी DPIs के लाभ:

- समतामूलक डिजिटल अर्थव्यवस्था:
 - समावेशी DPIs एक अधिक समतामूलक और सुलभ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं जो सभी नागरिकों तथा संगठनों को समान रूप से आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- धन अंतराल में कमी:
 - धन के अंतराल को कम करना और एक कुशल एवं प्रत्यास्थी डिजिटल अर्थव्यवस्था का नियमाण करना जो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को गतिशील करती है।
- डिजिटल समावेशन और सशक्तीकरण:
 - समावेशी DPIs यह सुनिश्चित करते हैं कि हिंसक प्रतिक्रिया पर स्थिति और वंचति समुदायों सहतिसमाज के सभी वर्गों की आवश्यक डिजिटल सेवाओं तक पहुँच हो। यह डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है, व्यक्तियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने, सूचना तक पहुँच रखने और उन्हें विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिये सशक्त बनाता है।
- उन्नत सेवा वितरण:
 - समावेशी DPIs सुवास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन जैसी सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार लाते हैं। डिजिटल चैनलों के माध्यम से सरकारी एजेंसियाँ नागरिकों तक अधिक कुशलता से पहुँच सकती हैं, नौकरशाही बाधाएँ कम हो सकती हैं एवं इससे बेहतर सेवा प्रणाली सुनिश्चित किया जा सकता है।
- कम लेन-देन लागत:
 - समावेशी DPIs के माध्यम से डिजिटल लेन-देन में पारंपरिक तरीकों की तुलना में लेन-देन की लागत प्रायः कम होती है। यह विभिन्न-लेन-देन संचालन लागत को कम कर व्यवसायों, उपभोक्ताओं और सरकार को लाभ पहुँचाता है।
- डेटा-संचालन शासन और नियन्त्रण प्रक्रिया:
 - समावेशी DPIs विभिन्न सरों से डेटा के संग्रह और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करते हैं। डेटा-संचालन वृष्टिकोण से शासन, सार्वजनिक नीतियों और सेवा वितरण में अधिक सूचना-संपन्न नियन्त्रण लेने में सहायता मिलती है।
- उन्नत कृषि प्रदूषण:
 - समावेशी DPIs कसिनों को मौसम, बाज़ार मूल्यों और सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों से संबंधित सूचना प्रदान कर सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर नियन्त्रण लेने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार होता है।
- आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया:
 - आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया:

○ समावेशी DPIs, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका नभी सकते हैं। वे अधिकारियों को शीघ्रता से सूचना प्रसारित करने एवं राहत प्रयासों का अधिक प्रभावी ढंग से समन्वय करने में सक्षम बनाते हैं।

भारत में DPIs से संबंधित चुनौतियाँ:

- अवसंरचना तक पहुँच का अभाव:
 - कई भूभागों में (विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में) विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना तक अपर्याप्त पहुँच के अभाव की स्थिति है। बजिली तक सीमित पहुँच और कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन जैसे आवश्यक डिजिटल हार्डवेयर का अभाव इस समस्या को और बढ़ा देता है।
- 'डिजिटल डिवाइड':
 - भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच काफी अधिक 'डिजिटल डिवाइड' बना हुआ है। शहरी केंद्रों में आमतौर पर डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं तक बेहतर पहुँच होती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी होती है तथा ये तकनीकी असमानताओं (technological disparities) का सामना करते हैं।
- वहनीयता:
 - डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध हों तो भी इंटरनेट तक पहुँच और डिजिटल उपकरणों की लागत कई व्यक्तियों और परिवारों के लिये (विशेष रूप से नमिन आय समुदायों से संबंधित) निषिधात्मक सदिध हो सकती है।
- भाषा और कंटेंट संबंधी बाधाएँ:
 - कुछ प्रमुख भाषाओं में कंटेंट का प्रभुत्व गैर-अंग्रेजी भाषी लोगों को या उन लोगों को अपवर्जित कर सकता है जो कसी प्रमुख भाषा में कुशल नहीं हैं। स्थानीयकृत और प्रासांकिक सामग्री की कमी महत्वपूर्ण सूचना और सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- शारीरिक और संज्ञानात्मक विकिलांगताएँ:
 - डिजिटल प्लेटफॉर्म में सीमित पहुँच सुविधाओं और डिजिटल संबंधी सीमितताओं के कारण विकिलांग व्यक्तियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बनाने तथा उनका उपयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चित्ताएँ:
 - गोपनीयता के उल्लंघन और डेटा सुरक्षा संबंधी मुद्दों का भय, व्यक्तियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने से हतोत्साहित कर सकता है (विशेष रूप से जब संवेदनशील सूचना को लेकर कोई भय हो)।
- भौगोलिक विषिमताएँ:
 - शहरी क्षेत्रों में प्रायः ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की तुलना में डिजिटल अवसंरचना तथा सेवाओं तक बेहतर पहुँच की स्थिति होती है, जिससे डिजिटल समावेशन में विषिमताएँ उत्पन्न होती हैं।

आगे की राहः

- नीतिओं और नियामक समर्थन:
 - सरकार को ऐसी नीतियाँ का नरिमाण और क्रयिन्वयन करना चाहिये जो डिजिटल समावेशन को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में प्राथमिकता दें। नियामक ढाँचे के माध्यम से डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल सेवाओं तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिये। सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने से संसाधन एवं विशेषज्ञता जुटाने में मदद मिल सकती है।
- डिजिटल अवसंरचना में नविश:
 - इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिये (विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में) डिजिटल अवसंरचना में नविश को बढ़ाया जाना चाहिये। इसमें ब्रॉडबैंड नेटवरक का विस्तार करना और सस्ती एवं विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएँ सुनिश्चित करना शामिल है।
- स्थानीयकृत कंटेंट और भाषा विविधता:
 - विविध भाषाएँ समुदायों की आवश्यकताओं की पूरता के लिये क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाने चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सूचना और सेवाएँ वृहत आबादी तक पहुँच सकें।
- लक्षित 'यूज़ केस' और सेवाएँ:
 - लक्षित यूज़ केस और सेवाओं की पहचान करना तथा इन्हें विकिसित करना आवश्यक है, जो वंचति समुदायों की आवश्यकताओं की पूरता करते हैं। इससे डिजिटल अंगीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।
 - उदाहरण के लिये, डिजिटल स्कॉलरशिप देखभाल समाधान, कृषिसिलाह और डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म ग्रामीण आबादी को लाभ पहुँचा सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न: भारत में डिजिटल समावेशन प्राप्त करने और सामाजिक-आरथिक विकास को बढ़ावा देने में समावेशी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPIs) के महत्व को बताते हुए इसके संभावित लाभों की चर्चा कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, विजित वर्षों के प्रश्न

?????????????

प्रश्न: नमिनलखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
- एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकरता प्राधिकारी द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविस्थियों की पहचान को सुरक्षित और त्वरित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित करने में मदद करता है, जिससे सेवा वितरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
- हालाँकि UIDAI ने आकस्मिकताओं का एक सेट भी प्रकाशित किया है जो उसके द्वारा जारी आधार अस्वीकृति के लिये उत्तरदायी है। मशिरति या विषम बायोमेट्रिक जानकारी वाला आधार नष्टिकरण किया जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नष्टिकरण किया जा सकता है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-s-digital-public-infrastructure-1>

